सं. 804/161/2013-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 सितंबर, 2013

<u>एडवाईजरी</u>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर कुछ टीवी चैनल सनसनीखेज तरीके से भड़काऊ और उत्तेजक समाचार/ कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। कुछ टीवी चैनल विविध वर्ग के नेताओं के फुटेज, वीडियो, साक्षात्कार आदि भी प्रसारित कर रहे हैं जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिति खराब हो सकती है। इनसे न केवल दंगा प्रभावित क्षेत्र में और अधिक सांप्रदायिक तनाव, हिंसा भड़क सकती है बल्कि अन्यत्र भी कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

जबकि इस बात की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है कि टीवी चैनलों को ऐसी भड़काऊ और संवेदनशील सामग्री के प्रसारण से बचने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए और इस प्रकृति के मामलों की रिपोर्टिंग में अधिकतम संयम और सावधानी बरतनी चाहिए। सांप्रदायिक तनाव/संघर्ष से संबंधित समाचार, विचार या टिप्पणियाँ तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद ही प्रसारित की जानी चाहिए और उचित सावधानी और संयम के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के सार्वजनिक हित में हो। टीवी चैनलों द्वारा कोई भी समाचार/ कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए, जिससे धार्मिक समूहों के बीच असामंजस्य या शत्रुता भड़कने की संभावना हो।

जबकि, समय-समय पर संशोधित, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के साथ पठित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(1) (ग), और (ङ) के अनुसार, कोई कार्यक्रम किसी भी केबल सेवा पर प्रसारित/पुनः प्रसारित नहीं किया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है; और जिसमें हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना है या इसमें कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

जबकि, भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति/अनुमोदन की बुनियादी शर्तों/बाध्यताओं के अनुसार , चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम,

1995 और नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन कोड और उसके तहत तैयार नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

इसलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अपने द्वारा जारी अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टीवी चैनलों को अपलिंक/डाउनलिंक करने के लिए चैनल को दी गई अनुमति की शर्तों और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995, की धारा 20 के तहत, इसके द्वारा सभी टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करने और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय संयम और संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी जाती है और ऐसी किसी भी सामग्री को प्रसारित करने से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकती है और कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है।

सभी टीवी चैनलों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि प्रोग्राम/विज्ञापन कोड के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों में निर्धारित दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

हस्ता./-

[नीति सरकार]
निदेशक (बीसी)
दूरभाष: 23386536

सेवा में,

सभी समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल

प्रतिलिपि: श्री केवीएल नारायणराव, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एमई-5, साह विकास अपार्टमेंट, 68, पटपड़गंज, दिल्ली-110092